प्रदर्श ''स''

कार्यालय कलेक्टर रायपुर

प्रमाण पत्र

मेसर्स **गल्फ आईल कार्पोरेशन लिमिटेड** .को एक्सप्लोसिव कार्य हेतु **रायपुर** जिला में **रायपुर वनमंडल** के **बिलाड़ी** गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **4.000** हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **4.000** हेक्टेयर जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम **बिलाड़ी** तहसील **तिल्दा** में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है ।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24.04.16 (प्रदर्श – ''अ'') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव **बिलाड़ी** ग्राम में सरपंच श्रीमती **पंचम बाई** की अध्यक्षता में हुई ग्राम संभा की बैठक दिनांक **24.04.16** में रखा गया था । इसमें **50 प्रतिशत** से अधिक ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे । जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई । यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है ।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1.	बिलाड़ी	निरंक	निरंक

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के निर्णय 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक **24.04.16** अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार '' अनुसूचित जनजाति एवं अन्यं परंपरागत निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है ।
5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक **24.04.16** के अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है ।

संलग्न : – उपरोक्तानुसार

(ओ.पी. चौधरी)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष जिला वन अधिकारी समिति
जिला रायपुर

कलेक्टर
रायपुर (छ. ग.)

दिनांक 29/07/17